रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 20 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 29, 1946 शक संवत्) [संख्या 29

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	557–572	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	619–630	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	75–86	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	135–148	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	599–608	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–1

नियुक्ति / तैनाती

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4056 / 96-आयुष-1-2023-155 / 2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे-5,400 / – (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त / तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती रागिनी चौहान	W/o श्री हरेन्द्र सिंह राठौर	02	54100113126	लखनऊ	ए-95 नेहरू विहार कल्याणपुर, नियर जगरानी हास्पिटल जनपद-लखनऊ-226022	उन्नाव

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति

सं0 4057/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री प्रियंका वर्मा पुत्री श्री गुरू प्रसाद वर्मा का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री प्रियंका वर्मा	श्री गुरू प्रसाद वर्मा	04	54100077596	लखनऊ	म0नं0-बी-79, एल्डिको सिटी नियर आई0आई0एम0 सर्किल, मुबारकपुर, जनपद-लखनऊ-226013	हरदोई

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4058/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती नीतू सिन्हा	श्री पुनीत श्रीवास्तव	32	54100004633	लखनऊ	श्री हरेन्द्र लाल श्रीवास्तव, सी-105, विजय कुंज कालोनी, कल्याणपुर, वेस्ट-विकास नगर, लखनऊ-226022	हरदोई

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति

सं0 4059/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री लक्ष्मी गौतम पुत्री श्री बच्चूलाल गौतम का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री लक्ष्मी गौतम	पुत्री श्री बच्चूलाल गौतम	48	54100065634	लखनऊ	एल0डी0-67-ए, डीजल सेड, रेलवे कालोनी, आलमबाग, लखनऊ-226005	सीतापुर

2– शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे-5,400 / – (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा-शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई-भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र / कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i) केवल एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4060/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री आकांक्षा दीक्षित पत्नी श्री मदन मोहन बाजपेयी का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री आकांक्षा दीक्षित	W/o श्री मदन मोहन बाजपेयी	61	54100080712	लखनऊ	निवासी-अनुपम निवास, 332ए, आशुतोष नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ-226023	रायबरेली

2— शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4061/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती संध्या	W/o श्री हेमन्त कुमार	117	54100092896	लखनऊ	निवासी-मं0नं0-631, बी-50-3, गायत्री नगर शिव मंदिर, पानी गॉव, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	उन्नाव

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4062/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री मोनिका वर्मा पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री मोनिका वर्मा	W/o श्री योगेन्द्र कुमार	186	54100059509	लखनऊ	100, जागृति विहार आदिल नगर, कल्याणपुर वेस्ट, लखनऊ-226022	सीतापुर

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4063/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री प्रतिभा रामचंदानी पत्नी श्री आशीष छुगनी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री प्रतिभा रामचंदानी	W/o श्री आशीष छुगनी	190	5410047309	लखनऊ	मकान नं0-436, सेक्टर-एन, पानी की टंकी, आशियाना कालोनी, लखनऊ-226012	रायबरेली

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4064/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरुप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अयम कात्यायन	पुत्र श्री आनन्द मिश्रा	205	54100138675	लखनऊ	163, अमानीगंज, बनौगा, बक्शी का तालाब, लखनऊ-226203	सीतापुर

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रुप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति / विज्ञप्ति

सं0 4065 / 96-आयुष-1-2023-155 / 2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरुप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री कुमारी वर्षा पुत्री स्व0 श्री बृजेश कुमार का विवरण निम्नवत् है—

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री कुमारी वर्षा	पुत्री स्व0 बृजेश कुमार	209	54100092568	लखनऊ	निवासी-104-ए, इन्दिरापुरी, मानस नगर, निकट गौरव ज्वैलर्स, कनौसी गेट-3 के पास, कृष्णा नगर, लखनऊ-226023	उन्नाव

2— शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100 / — ग्रेड पे-5,400 / — (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रुप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4067/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरुप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री पुलकित सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री पुलकित सिंह	पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह	226	54100091259	लखनऊ	निवासी-1-मानस नगर, जियामऊ, निकट-विश्व संवाद केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ-226001	लखीमपुर खीरी

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरुप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रुप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रुप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4068/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरुप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री रत्ना साहू पत्नी श्री सुधीर कुमार का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री रत्ना साहू	W/o श्री सुधीर कुमार	228	54100117502	लखनऊ	निवासी-346 54 55 मेंहदीगंज, चौक, लखनऊ-226003	अम्बेडकर नगर

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रुप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रुप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–16 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 29, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग–2

प्रभार प्रमाण-पत्र

01 जुलाई, 2024 ई0

सं0 स्था0 निदे0–I–164–अधि0 वर्ग/24–प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश सं0 404/77-2-24-82(82)पीएस/03 दिनांक 21 जून, 2024 के अनुपालन में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत श्री श्याम नारायण, उपनिदेशक (मुद्रण) को संयुक्त अधीक्षक सम्प्रति संयुक्त निदेशक के पद पर 7वें वेतनमान, पे मैट्रिक्स–12 रु0 78,800–2,09,200 में प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01 जुलाई, 2024 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी

(x x x x)

मोचक अधिकारी

श्याम नारायण
संयुक्त निदेशक

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0,
प्रयागराज।

अनुभाग–2

प्रभार प्रमाण-पत्र

30 जून, 2024 ई0

सं0 1360/स्था0/अधि0 वर्ग–24–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–2, के कार्यालय ज्ञाप सं0 67460/77-2-2024 दिनांक 24 जून, 2024 एवं निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 शिविर कार्यालय हजरतगंज, लखनऊ के पत्र सं0 473/कैम्प/2024 दिनांक 24 जून, 2024 में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है दिनांक 30 जून, 2024 के अपरान्ह् से हस्तान्तरित किया जाता है।

मुक्त अधिकारी

(राकेश अवस्थी)
संयुक्त निदेशक

मोचक अधिकारी

पुनीत कुमार तिवारी
संयुक्त निदेशक

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0,
प्रयागराज।

अनुभाग–2

प्रभार प्रमाण-पत्र

21 जून, 2024 ई0

सं0 266/कैम्प/2024–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–2, के कार्यालय ज्ञाप सं0 400/77-2-2024 दिनांक 20 जून, 2024 के अनुपालन में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत सिंह, उप निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) को मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय, प्रयागराज में एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया गया है, प्रोन्नत के फलस्वरूप दिनांक 21 जून, 2024 के पूर्वान्ह से उप निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) के पद पर मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय, प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण किया गया।

मुक्त अधिकारी

(x x x x)

मोचक अधिकारी

(इन्द्रजीत सिंह)
उप निदेशक
(प्रपत्र/प्रकाशन)

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

01 जुलाई, 2024 ई0

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

सं0 220/अ0जि0अ0(भू0अ0)न0म0पा0–1/लखनऊ–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ (समुचित सरकार के उददेश्य हेतु) की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों/महायोजना मार्गो को पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद लखनऊ परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर ग्राम कल्ली पश्चिम में कुल 26.9647 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 21 जुलाई, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का साराँश इस प्रकार हैः–

''अनुभाविक साक्ष्यों के परिणात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण एवं मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाघातित लोगों से संवाद एवं साक्षात्कार से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट है कि मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप परियोजना निर्माण के क्रियान्वयन से सम्भावित नकारात्मक प्रभावों के सापेक्ष सकारात्मक प्रभाव अधिक है। अतः सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना के बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0 लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निर्माण हेतु वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना तर्कसंगत होगा। साथ ही यह भी संस्तुति की जाती है कि परियोजना हेतु जो भूमि/क्षेत्र अधिग्रहण हेतु चिन्हित है, उस भूमि की स्थिति को देखते हुए यह बेहतर और अन्तिम विकल्प है।''

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	689 पी.	0.0207
				2001 पी.	0.0648
				2004 पी.	0.2121
				2006 पी.	0.0831
				2015 पी.	0.0426
				2026 पी.	0.0240
				2027 पी.	0.0476
				2028 पी.	0.1926

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	2030 पी.	0.0277
				2034 पी.	0.0260
				2080 पी.	0.0839
				2100 पी.	0.1827
				2104	0.0160
				2106 पी.	0.1981
				2114 पी.	0.0594
				2130 पी.	0.2024
				2135 पी.	0.1275
				2136 पी.	0.1275
				2137 पी.	0.1020
				2138 पी.	0.1016
				2156 पी.	0.2144
				2161 पी.	0.7176
				2165 पी.	0.4332
				2167 पी.	0.0750
				2177 पी.	0.1293
				2178 पी.	0.0574
				2179 पी.	0.4420
				2183 पी.	0.1728
				2184 पी.	0.0744
				2188 पी.	0.2585
				2189 पी.	0.0234
				2190 पी.	0.1256
				2205 पी.	0.0496
				2206 पी.	0.1600
				2210 पी.	0.0483
				2212 पी.	0.3164
				2218 पी.	0.1880
				2220 पी.	0.4220
				2222 पी.	0.3048
				2225 पी.	0.1417

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	2236 पी.	0.2295
				2241 पी.	0.0483
				2244 पी.	0.2754
				2245 पी.	0.1340
				2246 पी.	0.0344
				2247 पी.	0.0080
				2345क	0.0130
				2346	0.2910
				2354ड़ पी.	0.0808
				2364 पी.	0.0422
				2380 पी.	0.0882
				2381 पी.	0.0472
				2383 पी.	0.1072
				2385 पी.	0.0411
				2387 पी.	0.0213
				2388 पी.	0.5310
				2389 पी.	0.0230
				2391 पी.	0.0103
				2396 पी.	0.0560
				2397 पी.	0.1386
				2398 पी.	0.0328
				2399 पी.	0.0133
				2400 पी.	0.0175
				2401 पी.	0.0445
				2402 पी.	0.0072
				2409 पी.	0.1153
				2411 पी.	0.0379
				2426 पी.	0.1620
				2439 पी.	0.6516
				2440 पी.	0.0200

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	2441 पी.	0.0736
				2847 क पी.	0.1640
				2847 ख पी.	0.0445
				2847 घ पी.	0.6700
				2847 अं पी.	0.2530
				2847 च पी.	0.5060
				2847 च पी.	0.1488
				2847 ट पी.	0.0027
				2847 मि0 पी.	0.2780
				2912 पी.	0.0087
				2914 पी.	0.0419
				2917 पी.	0.0013
				2918 पी.	0.0059
				2919 पी.	0.0039
				2920 पी.	0.0008
				2923 पी.	0.0125
				2929 पी.	0.0249
				2930 पी.	0.0067
				2933 पी.	0.0088
				2940 पी.	0.0084
				2941 पी.	0.0104
				2950 पी.	0.0056
				2955 पी.	0.0176
				2972	0.0250
				2974घ पी.	0.3995
				2974 मि0 पी.	0.2274
				2974 त पी.	0.2305
				2974 मि0 पी.	0.1188
				2974 पी.	0.0980
				2977 पी.	0.0125

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	2978 पी.	0.1638
				2979 पी.	0.0502
				3000 पी.	0.0408
				3001 पी.	0.0909
				3002 पी.	0.0046
				3003 पी.	0.3393
				3004 पी.	0.2024
				3005 पी.	0.1522
				3006 पी.	0.0486
				3007क पी.	0.7275
				3010 पी.	0.0784
				3011 पी.	0.1229
				3012 पी.	0.0504
				3013 पी.	0.1488
				3014 पी.	0.1386
				3015 पी.	0.1230
				3016 पी.	0.0695
				3017 पी.	0.1771
				3019 पी.	0.0171
				3023 पी.	0.0076
				3026 पी.	0.0081
				3029 पी.	0.0011
				3031 पी.	0.0016
				3033 पी.	0.0416
				3035 पी.	0.0404
				3036 पी.	0.0044
				3037 पी.	0.0027
				3040	0.4040
				3040 पी.	0.0504
				3040 पी.	0.2424

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	3040 पी.	0.1932
				3042 पी.	0.0036
				3050 ड पी.	0.1012
				3070 पी.	0.3760
				3078 पी.	0.0138
				3079 क पी.	0.0040
				3080 ट पी.	0.2124
				3080 घ पी.	0.0380
				3080 . पी.	0.3850
				3080 क पी.	0.0313
				3080 ज	0.0379
				3089 पी.	0.2226
				3091 पी.	0.1575
				3093 पी.	0.0291
				3104 पी.	0.0547
				3108 पी.	0.0760
				3119	0.0160
				3132 क पी.	0.0108
				3132 ख पी.	0.0083
				3220 पी.	0.2628
				3234 पी.	0.2844
				3236 पी.	0.1524
				3256 पी.	0.1908
				3262 पी.	0.3612
				3266 पी.	0.1085
				3270 पी.	0.1036
				3273 पी.	0.7310
				3287 पी.	0.0468
				3289 पी.	0.0984

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	3306 पी.	0.3060
				3307 पी.	0.2678
				3310 पी.	0.2247
				3318 पी.	0.4752
				3319 पी.	0.1152
				3320 पी.	0.3384
				3322 पी.	0.2884
				3323 पी.	0.0166
				3328 पी.	0.1504
				3330 पी.	0.0188
				3333 पी.	0.0707
				3334 पी.	0.1652
				3335 पी.	0.1561
				3344 पी.	0.1356
				3347 पी.	0.0639
				3348 पी.	0.0107
				3351 पी.	0.0872
				3356 पी.	0.1098
				3358 पी.	0.0876
				3366 पी.	0.1864
				3384 पी.	0.0515
				3385 पी.	0.0722
				3388 पी.	0.0431
				3396 पी.	0.0189
				3397 पी.	0.0167
				3453 पी.	0.6166
				3454 पी.	0.2456
				3459 पी.	0.0713
				3474 पी.	0.1632

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	कल्ली पश्चिम	3477 पी.	0.1628
				3480 पी.	0.0585
				3481 पी.	0.5160
				3485 पी.	0.1554
				3486 पी.	0.1488
				3487 पी.	0.2277
				3488 पी.	0.0759
				3495 पी.	0.1491
				3356/3468	0.0060
				योग . .	26.9647

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर (कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), नगर महापालिका–प्रथम, कक्ष सं0 5/14 लखनऊ विकास प्राधिकरण पुराना कैम्पश, 6 जगदीश बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ) को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

धर्मेन्द्र सिंह,
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

01 मई, 2024 ई0

सं0 3249/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/(समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-4, बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर-रजवाहा परियोजना हेतु जनपद बिजनौर, तहसील बिजनौर, परगना बिजनौर, ग्राम चिचरोली बंगर में कुल 0.420 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1–उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा (2) के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

2–भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3–अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	बिजनौर	बिजनौर	चिचरोली बंगर	172	0.420

4–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

5–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6–अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
बिजनौर।

पी0एस0यू0पी0–16 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 29, 1946 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, औरैया

उपविधि

06 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1451/23-विविध-उपविधि/2023-24–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर जिला पंचायत, औरैया ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाशित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी गयी हैं :–

1. अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2. ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3. विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4. मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5. निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6. भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराइयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एण्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7. छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8. ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ, जैसे– रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित है।

9. निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10. तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहाँ पर सामान्यतः किसी भवन में चला–फिरा जाता है।

11. फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भाग से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भूखण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12. भू–आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13. ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतन्त्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधओं जैसे– पार्किंग, पार्क, बाजार, जन सुविधाएं आदि का प्रावधान हो।

14. ले–आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने–जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15. प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(अ) अभियन्ता– अभियन्ता, जिला पंचायत, औरैया।

(ब) अवर अभिन्ता – इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16. कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, औरैया से है।

17. अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18. स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बधित अभिलेखों में दर्ज है।

19. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी का उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर कों ऊँचा उठाने से है।

20. सेट–बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउण्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21. अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, औरैया से है।

22. जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संगठित जिला पंचायत, औरैया से है।

23. अध्यक्ष का तात्पर्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत, औरैया से है।

24. बहुमंजिली भवन (Multi-storey) चार मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

25. मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर अनुवर्ती तल के बीच हो और इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर के छत के मध्य हो।

26. भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाय, एवं उसका प्रत्येक भाग, चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेण्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाए जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27. आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रायोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28. व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दूकानों, भण्डारण बाजार, व्यावसायिक वस्तुओं प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कान्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायी माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29. संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पादक का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो जो ज्वलनशील या भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कॉरोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वलन, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरिटेण्ट या कॉरोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोट मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30. भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जाएगी।

31. पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बन्द या खुले स्थान से है, जहाँ पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतन्त्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन भाब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards, यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियाँ जिला पंचायत, औरैया के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दूकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियाँ कहलायेगीं।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियाँ

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1. उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

   (अ) ये उपविधियाँ कच्चे मकानों एवं गाँव के मूल निवासी के भुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

   (ब) सफेदी या रंग-रोगन के लिए ।

   (स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

   (द) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिए।

   (य) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निमाण।

   (र) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढे भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा :–

1. स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा :–

ले-आउट प्लान का पैमाना	1:500 होगा।
की प्लान का पैमाना	1:1000 होगा।
बिल्डिंग प्लान का पैमाना	1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमाायें, उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2. प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा, उपर्युक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

   (अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग नक्शा, विवरण सहित।

   (ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

   (स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

   (द) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

   (य) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य, जैसे– आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(र) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन-वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेण्ट, लैण्डस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लाण्ट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(ल) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता व नक्शे पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेण्ट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता

(स) नक्से पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3. बहुमंजिली भवन (Multi-storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी :–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि एलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

अ–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब–प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएँ भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेन्ट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेन्ट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेन्ट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेन्ट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु-मंजिली भवन में कम से कम सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तथा 6.0 मीटर पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर की होगी।

(ज) बहु-मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा-तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है :–

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3 (क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इसे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टॉट-लोट्स (Tot-Lots), लैण्ड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रकल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रण्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झाँसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे–

क्र0 सं0	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों (औरैया) में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		(मी0)	(मी0)
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन :–				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एंव शैक्षणिक भवन :–				
	(i) सभी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेन्डरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिंस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन :–	50	1.2	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारातघर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकाटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन– सरकार, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्पलेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट-बैक (Set-back)

क्र0सं0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) (मीटर)	साईड (Side) (मीटर)	पीछे (Rear) (मीटर)	लैण्डस्केपिंग (Landascaping)	खुला स्थानः तक (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501–2,000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001–6,000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001–12,000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12,001–20,000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20,001–40,000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40,001 एवं इससे अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग-स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रेन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेज़

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, 400 वर्ग मीटर से अधिक भू–आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउण्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चलाने हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाई में अधिकतम राईजरों की संख्या-16 तक सीमित होगी।

3– अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवन में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा। जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचना और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिह्न, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईजर डाउन सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाधर दूरी (मीटर)	क्षैतिज दूरी (मीटर)
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 पर

(ठ) मोबाईल टावर्स की स्थापना

1–मोबाईल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

2–जनरेटर केबल 'साइलैण्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

3–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।

4–जहाँ अपेक्षित हो वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

6–इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, कम्पन (Vibration) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यार्पणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा करने होंगे।

8–शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाईल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) **आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन**–सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर छत से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों (औरैया) में यह दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) **व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन**–सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर छत से ढके भाग पर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों (औरैया) में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (i) **भूमि की प्लाटिंग**– भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बाँटना।

(ii) **भूमि विकास**–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हॉल आदि।

(iii) **भूमि का उपभोग**–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर०सी०सी० पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का (Lay-out plan) तलपट मानचित्र।

उपरोक्त (ग) (i) से (iv) तक, जनपद में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ड०) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र एवं अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने की, किसी भूमि पर व्यवसाय करने की, स्वीकृत नक्शे के इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन या (Lay-out plan) तलपट मानचित्र पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों (औरैया) में रु० 10.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ञ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10 रुपये प्रति मीटर व अन्य जनपदों (औरैया) में रु0 5.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(**नोट**–शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ढ) अनुज्ञा–पत्र की जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/ परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू–अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन–पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू–अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तात्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक माँग–पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की सभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जाँच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का माँग-पत्र जारी करेंगे, जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा करना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदन को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का माँग-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति, मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्ही कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने को दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभय–पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–भू–खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3–भवन के भू–तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा, चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो, के 5 किमी की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदन कर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुये भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुये किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचानात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपलब्धियों के अधीन अनुज्ञा जारी होने को दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा-133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, औरैया यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु० 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है. रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

अमित गुप्ता,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पी0एस0यू0पी0–16 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 29, 1946 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 116-शेखूपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 116-शेखूपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रविन्द्र कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस संख्या-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रविन्द्र कुमार सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अन्दर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रविन्द्र कुमार सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रविन्द्र कुमार सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति''–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रविन्द्र कुमार सिंह निवासी-ग्राम व डाकखाना-रूपपुर, तहसील व जिला-बदायूँ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024* / *25 Phalguna, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 116-Shekhupur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 116-Shekhupur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2022, dated 27th April, 2022, Shri Ravindera Kumar Singh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 116-Shekhupur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, No. 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ravindera Kumar Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Ravindera Kumar Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 08 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Ravindera Kumar Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ravindera Kumar Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ravindera Kumar Singh resident of Village & Post-Ruppur, Tehsil & District-Budaun a contesting candidate from 116-Shekhupur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 117-दातागंज विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 117-दातागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजीव पाल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 117-दातागंज से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजीव पाल को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजीव पाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजीव पाल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राजीव पाल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति''–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 117-दातागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजीव पाल निवासी ग्राम-मझारा, तहसील-दातागंज, जिला-बदायूँ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024* / *25 Phalguna, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 117-Dataganj Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 117-Dataganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Rajeev Pal, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 117-Dataganj Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, No. 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Rajeev Pal for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Rajeev Pal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 30 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Rajeev Pal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Rajeev Pal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Rajeev Pal resident of Village-Majhara, Tehsil-Dataganj, District-Budaun a contesting candidate from 117-Dataganj Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 117-दातागंज विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 117-दातागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बृजपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 117-दातागंज से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री बृजपाल सिंह को कारण बताओ नोटिस संख्या 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री बृजपाल सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बृजपाल सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बृजपाल सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति''–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 117-दातागंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बृजपाल सिंह निवासी ग्राम-ग्योती धर्मपुर, थाना-अलापुर, जिला-बदायूँ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024* / *25 Phalguna, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 117-Dataganj Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 117-Dataganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Brijpal Singh, a

contesting candidate of Uttar Pradesh from 117-Dataganj Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, No. 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Brijpal Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Brijpal Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 30 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Brijpal Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Brijpal Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Brijpal Singh resident of Village-Gyoti Dharampur, Thana-Alapur, District-Budaun a contesting candidate from 117-Dataganj Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2024 ई0 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बदायूँ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 116-शेखूपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मोहर सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 116-शेखूपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मोहर सिंह को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मोहर सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा अपने पत्र संख्या-907/29-4/(निर्वाचन व्यय) दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के नाती श्री हरीश कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र संख्या-414/निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मोहर सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग

का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मोहर सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति''–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 116-शेखूपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम-कटका भरत, पोस्ट-नौगवां, तहसील-आँवला, जिला-बरेली को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *15th March, 2024*
25 Phalguna, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Budaun/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 116-Shekhupur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 116-Shekhupur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Budaun, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Shri Moher Singh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 116-Shekhupur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Budaun, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, No. 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 23 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Moher Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 23 November, 2022, Shri Moher Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Shri Harish Kumar Verma grandson the candidate on 13 December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Budaun, *vide* its letter no. 907 / 29-4 / (निर्वाचन व्यय) dated 17 October, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Budaun in his Supplementary Report, *vide* its letter 414 / निर्वाचन-व्यय लेखा 2022 dated 28 February, 2024 has reported that Shri Moher Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Moher Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Moher Singh resident of Village-Katka Bharat,

Post-Naugawan, Tehsil-Aonla, District-Barelly a contesting candidate from 116-Shekhupur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–16 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–72 निर्वाचन–20.07.2024–100 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 29, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

उपनियम

30 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 42/न0पं0न0बा0/उपविधि/लाइसेन्स/2023-24–नगर पंचायत नगर बाजार द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 (क) के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत नगर बाजार जनपद बस्ती ने अपने सीमान्तर्गत स्थित दुकानों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु सीमा के अर्न्तगत स्थित दुकानों/व्यवसायियों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने हेतु लाइसेसिंग नियंत्रण नियमावली 2023 तैयार किया गया है। इस उपविधि का उक्त एक्ट की धारा-301(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एंव सुक्षाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशन कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुक्षाव प्राप्त नही हुआ। अतएव उक्त नियमावली का अंन्तिम प्रकाशन कार्यालय पत्रांक सं0 429/न0पं0न0बा0/उपविधि/लाइसेन्स/2023-24 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा किया गया था। जो राष्ट्रीय समाचार-पत्र स्वतंत्र भारत व स्वतंत्र चेतना में प्रकाशित है। तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु लाइसेसिंग नियत्रण नियमावली लागू किये जाने प्रस्ताव को नगर पंचायत नगर बाजार की मा0 सदन की बैठक में दिनांक 05 जून, 2023 को रखा गया, प्रस्ताव सं0 19 दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा उपविधि हेतु मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए, सरकारी गजट में प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है–

परिभाषा– किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर–

अ–यह उपनियमावली नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती की लाइसेसिंग नियंत्रण नियमावली 2023 कहलायेगी।

ब–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।

स–प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती के प्रभारी अधिकारी से है।

द–प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

य–लाइसेसिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती होगें।

उपनियम

1–यह उपनियम नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2–इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पालिका द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थाई दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होगें।

3–यह उपनियम लाइसेसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलाएंगे।

4–कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेन्स उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–लाइसेन्स हेतु आवेदन को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनाएं उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही लाइसेन्सिग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

6–लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिए 3 गुना या 5 वर्ष के लिए 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

7–प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लेवे।

8–लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता नगर पंचायत कार्यालय पर अपेक्षित धनराशि अधिकृत कर्मचारी को जमा कर आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवयक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करे।

9–केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इससे भिन्न होगा।

10–ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जाये।

11–नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती के अध्यक्ष/प्रभारी, अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगें।

12–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकते है।

13–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14–इस उपनियम की शर्तो व दरों में मा0 सदन संशोधन कर सकती हैं, शर्तो के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

15–प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होगे।

16–अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा।

17–इन उपविधियों का उल्लघंन किये जाने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

18–यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नहीं बनवा लेते है तो 10 रु0 प्रतिदिन या 2% की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

19–नगर पचायत नगर बाजार, जनपद बस्ती को प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद लाइसेन्स शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।

20–लाइसेन्स सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21–लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

22–कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट किसी गौशाला सार्वजनिक शौचालय खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 500 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्क्रमण करना होगा। होटल, रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक रहेगा।

23–प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालोजी सेन्टर, एक्सरे, क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

24–किराया/निजी भार वाहन/यात्री वाहन, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

25–पैट्रोलियम पदार्थो की बिक्री एंव संग्रह के लिये पैट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेंण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहॉ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्स धारी को करना होगा। बुकिंग काउटरों पर सिलेण्डर का जमाव नहीं होगा।

26–वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी समिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ के लिए हानिकारक प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जॉच कराकर लाइसेन्स निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा।

27–केबिल टी0बी0/इण्टरनेट के लाइसेन्स धारी बिना नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेगें।

28–सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

29–डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहॉ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा।

30–प्रत्येक जानवर मालिक के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैंगिग कराये जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगे। जानवरों को इकट्ठा ले जाने व लाने पर स्वंय साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगी।

31–रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेगें तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते है।

32–मिठाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ादान का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करनी होगी दुकान में रखी सामग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

33–प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगें।

34–कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

35–नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती लाइसेन्स दरें निम्न रूप से निर्धारित करते है–

क्रम सं0	लाइसेन्स की मद	दर
1	2	3
		रुपये–
	होटल, रेस्टोरेन्ट	
1	होटल, लाज तथा गेस्ट हाउस, धर्मशाला बारात घर 10 शैया तक इसके बाद प्रति शैया 25.00 रु0 की दर से	1,000.00
2	रेस्टोरेन्ट	1,000.00
3	सूक्ष्म जलपान की दुकान	500.00
4	भोजनालय व ढाबा	500.00
	नर्सिंग होम	
5	नर्सिंग होम/प्राईवेट हास्पिटल (20 बेड)	1,000.00
6	नर्सिंग होम/प्राईवेट हास्पिटल (20 बेड के ऊपर)	2,500.00
10	पैथालॉजी सेन्टर	1,000.00
11	डेन्टल क्लीनिक	1,500.00
12	प्राइवेट क्लीनिक/फिजियोथेरेपी क्लीनिक	1,000.00
13	एक्स-रे/अल्ट्रासाउण्ड/सिटी स्कैन/ई0सी0जी	1,000.00
	परिवहन	
14	आटो रिक्शा	1,000.00
15	ई-रिक्शा	500.00
16	बस	2,000.00

1	2	3
		रुपये–
18	रिक्शा	50.00
19	चार पहिया ठेला-ठेली	50.00
20	हाथ ठेला	20.00
21	व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित	1,000.00
	अन्य व्यवसाय	
22	फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड / इन्श्योरेन्स कम्पनी / प्राईवेट आफिस	2,000.00
26	बार / बीयर	2,500.00
27	आइस फैक्ट्री	1,000.00
28	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
29	देशी शराब	2,500.00
30	विदेशी शराब	5,000.00
31	मांस की दुकान बकरा / मुर्गा / मछली	300.00
34	पेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर)	1,000.00
36	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन / गैस एजेन्सी	1,000.00
37	आटा चक्की	100.00
38	धुलाई (लॉन्ड्री) / ड्राइक्लीनर्स	200.00
41	कोल्ड स्टोर	500.00
42	ईट भट्टा	5,000.00
43	इण्टरलाकिंग ईट कारखाना	3,000.00
44	मिठाई / पेठा आदि बनाने का कारखाना	500.00
45	बर्फ बनाने की फैक्ट्री	3,000.00
46	लोहा टिम्बर / सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स	1,500.00
47	बिजली के सामान बिक्रेता	1,500.00
48	कपड़ा थोक व्यापारी / फुटकर बिक्रेता	500.00
49	बेकरी	300.00
50	हेयर कटिंग सैलून	200.00
51	ब्यूटी पार्लर	200.00
52	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
53	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	300.00
54	टेंलरिग हाउस	300.00

1	2	3
		रुपये–
55	कोयला थोक बिक्रेता	1,500.00
56	कोयला फुटकर बिक्रेता	200.00
57	मसाला/पान मसाला कारखाना	1,500.00
58	पेन्टस की दुकान	300.00
59	ज्वैलर्स बड़े	4,000.00
60	ज्वैलरी आभूषण विक्रेता	1,000.00
61	डेरी फार्म	1,000.00
62	केबल इण्टरनेट/टी0वी0	1,000.00
63	अनाज तिलहन चीनी गुड़ थोक विक्रेता	1,500.00
64	अनाज तिलहन चीनी गुड़ फुटकर विक्रेता	500.00
65	टेन्ट हाउस	1,000.00
66	पान की दुकान	100.00
67	चाय की दुकान	50.00
68	परचून/किराना दुकान थोक	1,000.00
69	परचून/किराना दुकान फुटकर	500.00
70	किताबों की थोक दुकान	300.00
71	किताबों की फुटकर दुकान	100.00
72	लकड़ी के टाल की दुकान थोक	600.00
73	लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर	200.00
74	आरा मशीन	1,000.00
75	रेडियो/टी0वी0 मरम्मत	200.00
76	फर्टिलाइजर शॉप	1000.00
77	मिठाई की दुकान	600.00
78	चाट बताशों की दुकान	200.00
79	ड्राईफ्रूट विक्रेता	300.00
80	सब्जी/फल की दुकान	100.00
81	मसाले विक्रेता	300.00
82	फर्नीचर विक्रेता	300.00
83	बर्तन की दुकान थोक/फुटकर	500.00
84	कबाड़ खाना	500.00

1	2	3
		रुपये–
85	रूई विक्रेता धुनाई मशीन	500.00
86	स्पेलर (तेल) धानी उद्योग	800.00
87	मेडीकल स्टोर बड़ा/थोक	800.00
88	अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता	300.00
89	वैद्य व यूनानी दवा/हकीम की दुकान	200.00
90	होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान	200.00
91	मोटर पार्टस की दुकान	200.00
92	वाहनों की मरम्मत वर्कशाप	200.00
93	गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित	1,000.00
94	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नहीं हो सके है।	300.00 से 1,000.00 तक

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत नगर बाजार जनपद-बस्ती यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 3,000/– (तीन हजार रुपये मात्र) अथवा लाईसेंस मद हेतु निर्धारित दर का दो गुना जो अधिक हो, तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चल आ रहा तो रु0 25/– (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

नीलम सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नगर बाजार,
बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निहारिका त्रिपाठी पुत्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4575 4273 8923 में सानिया अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को निहारिका त्रिपाठी पुत्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
निवासी ग्राम बिहियापुर,
पो0 सुरियावां जिला भदोही,
उ0प्र0,–221404

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझीदारी फर्म M/s. GAD एसोसिएट्स जिसका पंजीकृत कार्यालय CK.37/63, बाँसफाटक, वाराणसी (UP) 221001 है, का विघटन दिनांक 04 जुलाई, 2024 को हो गया है। इस फर्म का रेजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 03 जनवरी, 2013 को क्रमांक संख्या-5705/V-13664 पर हुआ थ। विघटन के बाद फर्म के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन अमान्य होगा।

आलोक शापुरी,
साझेदार
M/s. GAD एसोसिएट्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरवी जायसवाल पुत्री प्रदीप जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-5662 4297 8646 में ईशानी जायसवाल अंकित हेा गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को आरवी जायसवाल पुत्री प्रदीप जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रदीप जायसवाल
पुत्र स्व0 अमरचन्द्र जायसवाल,
निवासी-चक गरीबदास, पोस्ट व थाना-नैनी,
तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नौसेना सर्विस रिकार्ड नं0-150706R है। मेरे पी0पी0ओ0 संख्या-9/097/B/5/753 में मेरा नाम Shatrughna Singh अंकित हो गया है जो गलत है। मेरे शैक्षणिक अभिलेख/आधार कार्ड सं0-8976 3498 5448 व पैन कार्ड सं0-AYOPS7818L के अनुसार मेरा सही नाम Shatrughan Singh पुत्र रामदेव सिंह है। भविष्य में मुझे शत्रुघन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शत्रुघन सिंह,
पुत्र स्व0 रामदेव सिंह,
ग्राम व पोस्ट गहमर,
जिला–गाजीपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स रमन गैस सर्विस, सी-11/2, हापुड रोड़, सिटी हास्पिटल के सामने, मेरठ को साझीदारीनामा दिनांक 14 अप्रैल, 2017 के अनुसार नलिनी एवं श्री शुभम कान्त साझीदार थे। दिनांक 10 मई, 2024 से प्रभावी विघटित साझीदारीनामा उपरोक्त दोनों साझीदारों द्वारा अपना-अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग-अलग हो गये है। फर्म की साझीदारी को विघटित कर लिया गया है। यह घोषणा करती हूँ कि एतद्द्वारा या प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नलिनी,
पूर्व साझीदार,
मेसर्स रमन गैस सर्विस,
सी-11/2, हापुड रोड़,
सिटी हास्पिटल के सामने, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''अमित ट्रेडर्स'', स्टेशन रोड, रेलवे गोदाम बिजनौर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 02 जुलाई, 2024 को श्री अमित राणा पुत्र श्री कल्याण सिंह रिटायर हो गये है तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर शौर्य प्रताप राणा व मनोज कुमार रह गये है।

शौर्य प्रताप राणा,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''अमित ट्रेडर्स'',
स्टेशन रोड, रेलवे गोदाम बिजनौर,
जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''आई0एफ0ए0 कन्सट्रक्शन'', कराल रोड तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर (यु0पी0) नामक फर्म में दिनांक 20 जून, 2024 को श्री इदरीस अहमद व फैसल इदरीस व अनस इदरीस रिटायर हो गये है तथा दिनांक 20 जून, 2024 को श्री बी0 सी0 लखचौरा पुत्र नन्दा बल्लभ लखचौरा व श्रीमती फतमा खानम पत्नी फैसल इदरीस व श्रीमती खुशबू इदरीस पत्नी मौ0 इमरान शामिल हो गये है तथा रिटायर्ड पार्टनर के शेयर क्रमशः फैसल इदरीस का श्रीमती फतमा खानम, अनस इदरीस का श्रीमती खुशबू इदरीस व इदरीस अहमद का बी0सी0 लखचौरा के नाम हस्तान्तरण हो गये है, तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री असद इदरीस, बी0सी0

लखचौरा, श्रीमती फातमा खानम व श्रीमती खुशबू इदरीस शेष रहे गये है।

असद इदरीस,
पर्टनर,
फर्म मेसर्स ''आई0एफ0ए0 कन्सट्रक्शन'',
कराल रोड तहसील चांदपुर,
जिला बिजनौर (यु0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है ''मेसर्स ए0एन0 ट्रेडर्स, ग्राम फरीदपुर उददा, पो0 व जिला-बिजनौर (उ0प्र0) 246701 जिसकी पंजीकरण सं0 BIJ/0018188 है। उक्त फर्म के पंजीकरण के समय दो पार्टनर श्री अनुज चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह एवं अमित राणा पुत्र श्री कल्यान सिंह थे। पार्टनर श्री अमित राणा ने दिनांक 15 जुलाई, 2024 को त्यागपत्र/रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझीदार समाप्त कर ली है। जिनके स्थान पर दिनांक 15 जुलाई, 2024 को श्री गुल अहमद पुत्र श्री ताहिर हुसैन शामिल हो गये है। त्याग पत्र/रिटायरमेन्ट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री अनुज चौधरी एवं गुल अहमद है।

अनुज चौधरी,
पार्टनर,
''मेसर्स ए0एन0ट्रेडर्स, ग्राम फरीदपुर,
उददा, पो0 व जिला-बिजनौर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 ग्रीन इन्फ्राटेक, 2/471 विष्णुपुरी, रामघाट रोड, अलीगढ़ में स्थित है, उपरोक्त फर्म में श्री संदीप कुमार गुप्ता, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री अंशुल गुप्ता, श्री अखिल कुमार निवासीगण अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को संचालन की थी दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 से श्रीमती अनुभा संदीप गुप्ता, श्री रक्षक गौतम, श्री रजत गौतम फर्म में साझेदार हो गये है तथा श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री अंशुल गुप्ता, श्री अखिल कुमार फर्म से पृथक हो गये है। दिनांक 02 मई, 2024 से श्री कौशल कुमार गुप्ता, श्री राजीव कुमार फर्म में साझेदार हो गये है। दिनांक 02 मई, 2024 से श्री संदीप कुमार गुप्ता, श्रीमती अनुभा संदीप गुप्ता, श्री रक्षक गौतम श्री रजत गौतम फर्म सं पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री कौशल कुमार गुप्ता, श्री राजीव कुमार हम दोनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

कौशल कुमार गुप्ता,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे0 इलैक्ट्रोनिक ग्लास इण्डस्ट्रीज, ए-24-25, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फिरोजाबाद के भागीदारों/विद्यान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ–

यह कि उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्री विश्व दीप सिंह पुत्र स्व0 बृज राज सिंह निवासी- गुंजन एन्कलेव, मथुरा नगर, फिरोजाबद व राष्ट्र दीप सिंह पुत्र स्व0 बृज राज सिंह निवासी-गुंजल एन्कलेव, मथुरा नगर, फिरोजाबाद उक्त फर्म से दिनांक 01 जुलाई, 2024 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री मुकेश कुमार बंसल, श्री पिंकेश कुमार बंसल तथा श्री शैलेष बंसल भागीदार हो गये हैं।

मुकेश कुमार बंसल,
भागीदार,
मे0 इलैक्ट्रोनिक ग्लास इण्डस्ट्रीज,
ए -24-25, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जे0के0 कन्सट्रक्शन बसमहुआ, सहसों, प्रयागराज दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को प्रारम्भ की गयी थी। जिसमें साझेदार श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री बी0बी0 तिवारी निवासी बसमहुआ, सहसों प्रयागराज एवं गीता तिवारी पुत्री श्री राम सूरत शुक्ल निवासी 62, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज थे। वर्तमान में श्री सार्थक तिवारी पुत्र

श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी निवासी बसमहुआ, सहसों, प्रयागराज फर्म में दिनांक 14 जून, 2024 को सम्मिलित हुए।

जितेन्द्र कुमार तिवारी,
साझेदार,
मे0 जे0 के0 कन्सट्रक्शन बसमहुआ,
सहसों, प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी भारती पुत्री बृज नारायण भारती हे जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0- 6409 8129 6559 में उसका नाम नैन्शी भारती अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिव्यांशी भारती पुत्री बृज नारायण भारती के नाम से जाना व पहचाना जाय।

बृज नारायण भारती,
निवासी-तिवारी का पुरा, हथिगन,
पोस्ट-पूरवा खास, तह0-करछना प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम स्वाती शुक्ला पुत्री ब्रजेश कुमार शुक्ला था। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में अंकित है। शादी के बाद मैने अपना नाम स्वाती शुक्ला से बदलकर स्वाती मिश्रा पत्नी गौरव कुमार मिश्र रख लिया है। भविष्य में मुझे स्वाती मिश्रा पत्नी गौरव कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

स्वाती मिश्रा
पता- 599 पीसी/615/02
पिंक सिटी, मोहान रोड, बुद्धेश्वर, लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कार्तिकेय पुत्र श्री मनीष कुमार गुप्ता है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे नाम के साथ मेरा उपनाम अंकित नहीं है। भविष्य में मुझें कार्तिकेय गुप्ता पुत्र श्री मनीष कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय। कार्तिकेय 231/94, टैगोर टाउन प्रयागराज।

कार्तिकेय
231/94, टैगोर टाउन प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0—16 हिन्दी गजट—भाग 8—2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।